

हीनरगल / पांन्नी देवी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
29.6.21	<p>स्वयं अपीलान्त द्वारा प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किये जाते पर पत्रावली आज देवी पर ली गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में (अपी. द्वारा निवेदन किया गया है कि " मैं अब इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता स्वयं देखा. वे शिरूह कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ. इसलिए मैं अपीलान्त की अपील आज ही रवारिज कर ही जाते। अपीलान्त द्वारा स्वयं वे आचार वर्त की प्रति पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत की गई तथा आदेशिका पर भी हस्ताक्षर किये। हमने अपील पत्रावली स्वयं प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। मैंने अब स्वयं अपीलान्त ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। इसलिए अपीलान्त के निवेदन पर अपील (अपीलान्त इसी स्तर पर रवारिज की जाती है। प्रार्थना- पत्र स्वयं पहचान- पत्र की प्रति वापिस पत्रावली की गई पत्रावली में सल वृत्त होकर, नम्बर से उस की आवक बाद तबकील आस्ता दारिज दफ्तर की जाये।</p>	<p><i>(Signature)</i> 29/6/21 धीर</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर